न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 62/ 2016 जिला सीकर

1. बबीता देवी पुत्री महावीर प्रसाद चुडीवाला पत्नि श्यामसुन्दर जाजोदिया

2. नथमल चुडीवाला पुत्र महावीर प्रसाद चुडीवाला, निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ ,हाल डी–3 पुष्पाजंली इन्कलेव प्रीतमपुरा नई दिल्ली 36 जरिये मुख्त्यारआम जगदेव बेडा पुत्र मोहन लाल बेडा, निवासी वार्ड नम्बर 19, सांखलों का मौहल्ला सुजानगढ, जिला चुरू ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. अरूणकुमार
2. निर्मल कुमार
3. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. भगवती प्रसाद निवासी एई 312 साल्ट लेक वॉटर नम्बर 4 के पास कोलकाता 64 जरिये मुख्त्यारआम औम प्रकाश टेलर पुत्र जोरावरमल टेलर, जाति दर्जी, निवासी वार्ड नम्बर 25, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
4. विमल कुमार पुत्र स्व. भगवती प्रसाद चुडीवाला, निवासी एई 312 साल्ट लेक कोलकाता 64 जरिये मुख्त्यारआम राजेन्द्र कुमार मण्डीवाल, निवासी ग्रम कटराथल ,तहसील एवम् जिला सीकर ।
5. सुमित्रा पुत्री स्व. भगवती प्रसाद पत्नि विजय कुमार सरार्फ निवासी पुकज ब्लॉक प्रथम मंजिल लेक टाउन कोलकाता 89 राज्य पश्चिम बंगाल
6. लाली उर्फ अन्नू पुत्री स्व. भगवती प्रसाद निवासी एई 312 साल्ट वाटर टैंक नम्बर 4 के पास कोलकाता 64 राज्य पश्चिम बंगाल।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अपर जिला कलक्टर सीकर दिनांक 12.6.2015

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री लालचन्द जाट
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री घीसा लाल कुमावत

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 12.6.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम कस्बा लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 696/1 रकबा 3.55 हैक्टेयर में से चार बीघा 9 बिस्वा भूमि का खातेदार महावीर पि. श्री लाल महाजन था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या

1106 नायब तहसील लक्ष्मणगढ ने दिनांक 18.8.1983 को भगवती प्रसाद पुत्र श्री लाल महाजन के नाम स्वीकार कर दिया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट संख्या 2 नथमल चुडीवाला द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 28.3.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1106 दिनांक 18.8.83 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक खातेदार के विधिक वारिसान एवं विवादित भूमियों पर कब्जे काश्त बाबत जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । अति. कलक्टर सीकर के इस निर्णय दिनांक 28.3.2013 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 विमल कुमार पुत्र भगवती प्रसाद चुडीवाला द्वारा न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर को अपील प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 31.12.2013 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक खातेदार के विधिक वारिसान एवं विवादित भूमियों पर कब्जे काश्त बाबत जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने का कोई औचित्य नहीं माना तथा पक्षकारों के मध्य अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में ही उनके अधिकारों का निर्धारण होना है एवं इस प्रकरण में विवाद की प्रकृति को देखते हुये यह विवाद नामांतरकरण जैसी फिसकल कार्यवाही से हल नहीं किया जाकर इसे नियमित वाद के माध्यम से ही निर्णित करना उचित मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 28.3.2013 निरस्त किया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 विमल कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर को प्रस्तुत कर न्यायलाय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 31.12.2013 की पालना में खसरा नम्बर 692, 695, 696/1 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नोट संख्या 93 दिनांक 22.4.2013 के पूर्व के इन्द्राज को बहाल किए जाने के आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ को दिये जाने की प्रार्थना किये जाने पर न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 12.6.2015 पारित किया कि "न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 28.3.2013 द्वितीय अपील में संभागीय आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 28.3.13 का कोई प्रभाव नहीं रहा है । अतः राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में नोट संख्या 93 के शीर्षक से लगाया गया नोट हजफ किया जाता है तथा नोट से पूर्व की स्थिति भगवती प्रसाद के नाम खातदोरी की पुर्नस्थापना का आदेश दिया जाता है "।

अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिंाक 12.6.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट बबीता देवी पुत्री महावीर प्रसाद वगैहरा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर निंाक 12.6.15 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप रूप से कथन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता महावीर प्रसाद चुडीवाला द्वारा स्वअर्जित भूमि है । अपीलान्ट्स के पिता की मृत्यु वर्ष 1980 में हुई थी जब अपीलान्ट्स नाबालिग थे तथा अपीलान्ट्स की माता मांगी देवी की मृत्यु अपीलान्ट्स के पिता के पूर्व ही हो गई थी । अपीलान्ट्स ही अपने पिता के विधिक वारिसान है । राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर विवादित भूमि अपीलान्ट्स के चाचा भगवती प्रसाद के नाम नामांतरकरण संख्या 1106 दिनांक 18.8.83 दर्ज होना पाया गया । इस पर अपीलान्ट्स द्वारा नामांतरकरण सख्या 1106 दिनांक 18.8.83 के खिलाफ अपील न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो उनके निर्णय दिनांक 28.3.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मृतक खातेदार के विधिक वारिसान एवं विवादित भूमि में कब्जे काश्त बाबत जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें । अपीलान्ट्स के चाचा भगवती प्रसाद के पुत्र रेस्पोंडेन्ट विमल कुमार द्वारा अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 28.3.13 के खिलाफ अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर को की गई, जो निर्णय दिनां 31.12.2013 द्वारा स्वीकार कर अति. कलक्टर का निर्णय निरस्त कर दिया जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की, जो विचाराधीन है जिसके विचाराधीन रहते रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से अपर जिला कलक्टर सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया कि न्यायालय अति. कलक्टर सीकर द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.3.13 को अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 31.12.13 द्वारा निरस्त किया जा चुका है इसलिये न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 28.3.13 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुये तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा कार्यवाही करते हुए जो जमाबन्दी में नोट लगाया था उसको निरस्त किया जावे । अति. कलक्टर सीकर ने रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 12.6.2015 द्वारा स्वीकार कर दिया , जो विधिक प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है क्योंकि अति. सम्भागीय आयुक्त के निर्णय के खिलाफ निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन चल रही थी तो उसी प्रकरण में अति. कलक्टर को आदेश पारित नहीं करना चाहिये था । उनका कहना था कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में सी.पी.सी. के प्रावधाना लागू नहीं होते । ऐसी स्थिति में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कहना था कि विधिक प्रावधानों के अनुसार रेस्टीट्यूशन की कार्यवाही केवल मात्र First instance court के समक्ष ही की जा सकती है । नामांतरकरण के प्रकरण में First instance court तहसीलदार लक्ष्मणगढ है तथा अति. कलक्टर सीकर न्यायालय अपीलीय कोर्ट है । ट्रायल कोर्ट का काम अपीलीय कोर्ट को नहीं करना चाहिये । उनका कहना था कि विवादित भूमि के मृतक खातेदार महावीर प्रसाद के अपीलान्ट्स विधिक वारिसान है जिन्हें छोडते हुये महावीर प्रसाद की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट्स के चाचा भगवती प्रसाद के नाम तस्दीक तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है जबकि अपीलान्ट्स मृतक महावीर प्रसाद के पुत्री एवं पुत्र होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक वारिसान है जिन्हे उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता । उनका कहना था कि अपीलान्ट की निगरानी में राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 9.8.16 पारित किया कि " जब इन्तकाल के प्रकरण में धारा 144 सी.पी.सी. पर कोई भी निर्णय पारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत होगी न कि निगरानी" । इसी परिपेक्ष्य में अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । अतः अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 12.6.2015 विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे । अपने कथनों के समर्थन में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के नियम 144 ,ए.आई.आर. 1996 बोम्बे 48, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1528 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र श्री लाल महाजन की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1106 नगर पालिका के प्रमाण पत्र के आधार पर बाद जॉच नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 18.8.1983 को रेस्पोंडेन्ट्स के पिता भगवती प्रसाद के नाम तस्दीक किया गया था। अपीलान्ट्स की प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर के समक्ष मियाद बाहर थी जबकि प्रश्नगत नामांतरकरण का ज्ञान उन्हें 20.9.2007 को ही हो गया था । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स प्रश्नगत नामांतरकरण में पक्षकार भी नहीं थे इसलिये उन्हें प्रथम अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अपील प्रस्तुत करने की इजाजत लेनी चाहिये थी , लेकिन धारा 196 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मेन्टेनेबल नहीं थी । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य अधिकारों के निर्धारण के संबंध में सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन है जिनके लम्बित रहते राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता । उनका कहना था कि महावीर प्रसाद ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पित्तयों के संबंध में एक वसियत भगवती प्रसाद के हक में लिख दी थी तथा भगवती प्रसाद ने अपने जीवनकाल में ही वसियत से प्राप्त समस्त सम्पत्ति की एक वसियत दिनांक 14.2.2001 को रेस्पोंडेन्ट विमल कुमार के नाम निष्पादित कवादी थी जिसे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ओरिजनल साईट कोलकाता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

द्वारा दिनांक 20.3.2002 को प्रोबेट से पुष्ट करदी थी । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधिनस्थ न्याालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं कानूनी तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है । अति. कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स की अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 31.12.13 द्वारा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 28.3.13 निरस्त किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र धारा 144 सी.पी.सी. पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2015 पारित किया कि "न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 28.3.13 द्वितीय अपील में संभागीय आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 28.3.13 का कोई प्रभाव नहीं रहा है । अतः राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में नोट संख्या 93 के शीर्षक से लगाया गया नोट हजफ किया जाता है तथा नोट से पूर्व की स्थिति भगवती प्रसाद के नाम खातेदारी की पुर्नस्थापना का आदेश दिया जाता है "। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 12.6.2015 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे । उनके द्वारा आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 199 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में खातेदार महावीर के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1106 नायब तहसील लक्ष्मणगढ ने दिनांक 18.8.1983 को भगवती प्रसाद पुत्र श्री लाल महाजन के नाम स्वीकार कर दिया जिसके खिलाफ खातेदार महावीर के पुत्र अपीलान्ट संख्या 2 नथमल चुडीवाला की अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 28.3.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 1106 दिनांक 18.8.83 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक खातेदार के विधिक वारिसान एवं विवादित भूमियों पर कब्जे काश्त बाबत जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 विमल कुमार की अपील इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31. 12.2013 से पक्षकारों के मध्य अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद के विचाराधीन होने से उनके अधिकारों का निर्धारण वाद में होना मानते हुये नामांतरकरण की फिसल कार्यवाही में विवाद का हल नहीं किया जाकर इसे नियमित वाद के माध्यम से ही निर्णित करना उचित मानते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 28.3.2013 निरस्त किया है ।

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 विमल कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर को प्रस्तुत कर न्यायलाय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 31.12.2013 की पालना में खसरा नम्बर 692, 695, 696/1 वाके कस्बा लक्ष्मणगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नोट संख्या 93 दिनांक 22.4.2013 के पूर्व के इन्द्राज को बहाल किए जाने के आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ को दिये जाने की प्रार्थना किये जाने पर न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय दिनांक 12.6.2015 द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 28.3.2013 द्वितीय अपील में संभागीय आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् आदेश दिनांक 28.3.13 का कोई प्रभाव नहीं होने से राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में नोट संख्या 93 के शीर्षक से लगाया गया नोट हजफ किया गया तथा नोट से पूर्व की स्थिति भगवती प्रसाद के नाम खातदेारी की पुर्नस्थापना का आदेश दिया गया है । हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2013 के अनुसरण में पारित किया है । चूंकि पक्षकारों के मध्य अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन होना बताया गया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना है । नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर